



EMBLEM
FORM 'F'

[See clause 15(2) and 18 (2)]

316

Sl. No. :

Book No. : VI

Certificate No. 111 (R)

Date of Issue 30/10/2014

Valid up to 25/10/2016

**Certificate of Manufacture in Respect of
Physical/Granulated Mixture/Organic Fertilizer/Bio-Fertilizer**

M/s Koshi Rabayan, Kothi Hat Road, Ward No. - 17, Forbesganj, Araria (Name of Manufacturer) is hereby given the certificate for manufacture of the physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer specified below subject to the terms and conditions of this certificate and to the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985.

Full Particulars of the granulated/physical mixture of fertilizers, organic fertilizer/bio fertilizer

Date : Micro Nutrient Mixture
Bihar Grade
Seal : specification annexed
as Annexure 'A'

Full address of the premises where the mixture of fertilizer or mixture of micronutrient fertilizers. Fertilizer/bio fertilizer will be made.

M/s Koshi Rabayan
Kothi Hat Road,
Ward No. - 17, Forbesganj,
Dist. - Araria
Registering Authority :

State : Bihar

Renewed up to : 24/10/2019

Date : 21-08-2017

Registering Authority :

Seal :

Amil

State : Bihar

V. S. Patra
17.8.17
DIRECTOR OF AGRICULTURE
CUM

REGISTERING AUTHORITY, GOVT OF BIHAR PATNA

Terms and conditions of this certificate

- (1) The holder of this certificate shall display the original thereof in a conspicuous place open to the public in a part of the principal's premises in which business of making the physical/ granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer is carried on and also a copy of such certificate in similar manner in every other premises in which that business is carried on. The required number of copies of the certificate shall be obtained on payment of the fees thereof.
- (2) The holder of this certificate shall not keep in the premises in which he carries on the business of making physical/granulated mixture of bio fertilizers/organic fertilizer in respect of which a certificate of registration has not been obtained under the Fertilizer (Control) Order, 1985.
- (3) The holder of this certificate shall comply with the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and the notification, order and direction, issued there-under for the time being in force.
- (4) The holder of the certificate shall report forth with to the Registering Authority any emerge in the premises specified in the certificate or any new premises in which carried on the business of making physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer and shall produced before the authority the original certificate and copies thereof show that necessary correction may be made therein by that authority.
- (5) The holder of the certificate shall insure that the physical/granulated mixture/ organic fertilizer/ bio fertilizer in respect of which a certificate of registration has been obtained his prepared by him or by a person having such qualification as may be prescribed by the State Government from time to time or by any other person under the direction, supervision and control of the holder or the person having the said qualifications.
- (6) The certificate and copies there of if any, will be machine numbered and delivered against the signature of the holder there of or his agent on the Carbon copy of the certificate which will be kept intact bound in the certificate book" by each Registering Authority.

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या— 3(ख)/एफ— 173/2004

क0, पटना, दिनांक

2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा0प0री0

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 कोशी रसायन,

कोठी हाट सोड, बार्ड न0—17,

फॉरबिसगंज, जिला— अररिया।

विषय

जैव उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. 111 दिनांक 30.10.2004 वैधता तिथि 25.10.2016 को नियंत्रक 24.10.2019 तक नवीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में निदेश दिए जाते हैं—

1. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सभी धाराओं का आम पूर्व अनुपालन करेंगे।
2. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत प्राधिकृत उर्वरक निरीक्षक समग्र क्षेत्र पर उर्वरक के समूह जोच हेतु लेगे तथा आपके प्रतिष्ठान की प्रयोगशाला सुचारु एवं आपकी द्वारा संधारित प्रयोगशाला संचालित करेंगे।
2. आपके बंपर गोदाम का भंडार पंजीकरण विकी मजो संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं संचालित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र 18 के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रक पत्रांक 4806 दिनांक 29.10.2013 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. यदि किसी कारणवश विनिर्माण कार्य बंद किया जाता है तो इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी तथा कृषि निदेशक, बिहार को अविलंब दिया जाय। इसी प्रकार विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने की भी सूचना अविलंब जिला पदाधिकारी का पूर्व में ही दी जाय।
6. प्रत्येक माह के 10 तारीख को विनिर्माण एवं विपणन संबंधी प्रमाणित कृषि निदेशक, बिहार एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. यदि स्थल जोच प्रतिवेदन प्रतिकूल पाया गया तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत आपके विषय के नमूने की जायगी।
8. उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र भिलबिल होकर रद्द हो जा सकेगा एवं इस आधार पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण भी अस्वीकृत किया जा सकता है।
9. आप स्थल उत्पान कर इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को देंगे।

विश्वरामाजन

ह0/—

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक 21/12/2017

जापाक 680

प्रतिलिपि : जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को सूचनाार्थ एवं पारस्परिक कार्रवाई एवं जिला प्रविष्टान द्वारा उत्पादित उर्वरकों का नमूना लेकर जोच कराया एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिकूल प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।